न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, धोरीमना (जिला– बाड़मेर) राज.

पीठासीन अधिकार : श्री लाखाराम, आर.ए.एस.
आवेदन संख्या : 14/2021

प्रार्थीगण

1. किशनलाल पुत्र सोहनलाल
2. धर्मेन्द्र पुत्र सोहनलाल
3. सुनिल पुत्र सोहनलाल
4. उर्मिला बेवा सोहनलाल, जातियान माहेश्वरी, निवासी रावों की बेरी, हाल दूधू, तहसील धोरीमना, बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण

1. चोला पुत्र मोती
2. हनुमान पुत्र चोला, जातियान जाट, निवासी अम्बेडकर नगर, लूखू।
3. हरू पुत्र सोनाराम विश्नोई
4. प्रभु पुत्र हीरा विश्नोई
5. हरू पुत्र चैना विश्नोई
6. रामकेन पुत्र हिरा विश्नोई
7. मोहन पुत्र जेठा, विश्नोई, निवासियान रावों की बेरी, लूखू, तहसील धोरीमना।
8. हेमाराम पुत्र प्रतापाराम, विश्नोई, निवासी रोहिला, तहसील धोरीमना।

राजस्व आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू : 28/01/2021

अधिवक्तागण :–

1. श्री बलवंत सिंह चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: *निर्णय* ::–

दिनांक : 08/08/23

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री बलवंत सिंह चौधरी द्वारा एक राजस्व आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 14/1, 14/480 कुल रकबा 145–10 बीघा, राजस्व मौजा–रावों की बेरी, लूखू, तहसील धोरीमना में आई हुई है जिस पर प्रार्थीगण का वैध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थीगण के उपरोक्त भूमि सेढ़ा पड़ौसी विप्रार्थीगण की भूमि स्थित है इन पक्षकारों के खेतों के बीच में सेटलमेंट की स्थाई माठे स्थापित नहीं होने से विप्रार्थीगण सियालू व बरसाती समय में प्रार्थीगण भूमि में बिना सहमति सेढ़ा तोड़कर अवैध रूप से कब्जा करने पर आमादा होने से प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के बीच हर समय सेढ़ा बाबत् विवाद उत्पन्न होता रहता है इसलिए स्थापित विधि से प्रार्थीगण अपनी भूमि का समय पर जायोता नहीं करने से आर्थिक हानि होने की संभावना रहती है जिसकी भविष्य क्षतिपूर्ति होने की कोई संभावना नहीं रहती है। प्रार्थीगण व्यवसाय से व्यापारी व सद्भावी काश्तकार होने से विप्रार्थीगण हर समय खेतों के सेढ़े बाबत् विवाद उत्पन्न करते रहते हैं और प्रार्थीगण विप्रार्थीगण को सेढ़ा तोड़ने से मना करने पर लड़ाई फसाद करने पर आमादा हो जाते हैं इसलिए विधि से सेढ़ा बाबत् समाप्त करने के लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:30 IST
Reason: SelfAttested

08/08/23

अपने खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी कराने के वैध अधिकारी हैं अतः आवेदन पेश है। खेत खसरा नं. 14/1, 14/480 मौजा रावों की बेरी, लूखू का सीमांकन कराने का तहसीलदार धोरीमना को आवेदन किया जिस पर हल्का पटवारी ने मौके पर भूमि का सीमांकन किया तो विप्रार्थीगण 1 व 2 अवैध रूप से सेढ़ा तोड़कर टांका निर्माण करने पर आमादा है जिस पर तहसीलदार धोरीमना ने टांका निर्माण का प्रार्थीगण के खेत में नहीं करने के लिए पाबंद किया किन्तु विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि में बिना सहमति कभी भी अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने पर विप्रार्थीगण आमादा हो जाते हैं तो शांति भंग का पूरा अंदेशा रहता है। विप्रार्थीगण की एक पार्टी बनी हुई है जो किसी समय नेखमबंदी करने में बाधा उत्पन्न कर शांति भंग कर सकते हैं इसलिए नेखमबंदी के समय शांति कायम करने के लिए प्रार्थीगण पुलिस थाना धोरीमना से इमदाद प्राप्त के अधिकारी हैं। मौके पर प्रार्थीगण नेखमबंदी सामग्री व अधिनस्त कर्मचारियों को नेखमबंदी फीस आदेशानुसार अदा करने के लिए तैयार है। प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा रावों की बेरी, लूखू, तहसील धोरीमना में स्थित होने से ये आवेदन सक्षम न्यायालय में पेश है। राजस्व आवेदन धारा 111, 128 रा.भू. राजस्व अधिनियम–1956 में पेश होने से निर्धारित न्याय शुल्क 2/– रुपए पेश है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिए रजि. डाक तलब किया गया। रजि. डाक से भेजे गए नोटिसों की डाक रसीदें अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई अप्रार्थी संख्या 01 ता 08 को भेजे गए नोटिस एक वर्ष से अधिक का समय होने के बावजूद हाजा न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण, पत्रावली तथा पत्रावली पर उपस्थित समस्त दस्तावेजात का अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि ग्राम– रावों की बेरी, पटवार हल्का–लूखू, तहसील–धोरीमना के खसरा नंम्बर क्रमशः 14/1, 14/480 रकबा क्रमशः 29, 116–10 बीघा किस्म क्रमशः बारानी सोयम, बारानी सोयम प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। हमने पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार–धोरीमन्ना के आदेश की पालना में करवाए गए सीमाज्ञान की मौका फर्द की प्रतिलिपि दिनांक–19.07.2020 का अध्ययन किया, पटवारी हल्का द्वारा खसरा नंम्बर क्रमशः 14/1, 14/480 रकबा क्रमशः 29, 116–10 बीघा किस्म क्रमशः बारानी सोयम, बारानी सोयम आराजी क[illegible] की कार्यवाही के दौरान पड़ौसी खातेदारान द्वारा वाद–विवाद [illegible], इस बात का उल्लेख किया है। अतः उपर्यु[illegible] हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण को खसरा नंम्बर क्रमशः 14/[illegible] 14/480 रकबा क्रमशः 29, 116–10 बीघा किस्म क्रमशः बारानी सोयम, बारानी सोयम की सीमा तक स्वीकार किया जाना उचित एवं विधिसंगत होगा।

08/08/23

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:30 IST
Reason: SelfAttested

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 भली–भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिए जाते हैं कि वह प्रार्थी की खातेदारी आराजी राजस्व मौजा– कुम्हारों की बेरी, पटवार हल्का– रावों की बेरी, पटवार हल्का–लूखू, तहसील–धोरीमना के खसरा नंम्बर क्रमशः 14/1, 14/480 रकबा क्रमशः 29, 116–10 बीघा किस्म क्रमशः बारानी सोयम, बारानी सोयम का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण के हर्जे–खर्चे से उसके खसरा नंम्बर क्रमशः 14/1, 14/480 रकबा क्रमशः 29, 116–10 बीघा किस्म क्रमशः बारानी सोयम, बारानी सोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

08/08/23

(लाखाराम RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 08/08/23 को सरे ईजलास सुनाया गया।

08/08/23

(लाखाराम RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमना, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:28:30 IST
Reason: SelfAttested